105

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1689-एक/2011 - विरूद्ध आदेश दिनांक 29-9-2011 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 31/2009-10 अपील

1- महेन्द्र सिंह पुत्र राजाराम सिंह गुर्जर
2- सूरज सिंह पुत्र राजाराम सिंह गुर्जर
दोनों ग्राम छिरेटा करवासा तहसील
गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

गन्धर्व सिंह पुत्र राजाराम सिंह गुर्जर
ग्राम अरोरा पोस्ट बेहट तहसील मुरार
जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्री कृष्ण शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एम0पी0भटनागर)

आ दे श

(आज दिनांक 31-05-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 31/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-11 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजाराम सिंह के नाम जिला ग्वालियर एंव जिला भिण्ड में निम्नानुसार भूमियॉ थीं :-

जिला ग्वालियर

मौजा अरोरा तहसील मुरार कुल दो खाते

प्रथम खाता कुल सर्वे नंबर 16 कुल रकबा 12.469 है. में हिस्सा 2/15

दूसरे खाते पर कुल सर्वे नंबर 9 कुल रकबा 6.167 है. हिस्सा 1/9

तहसील गोहद जिला भिण्ड

मौजा छरेटा करवास कुल दो खाते

प्रथम खाता कुल सर्वे नंबर 2 कुल रकबा 2.16 हैक्टर संपूर्ण रकबा
दूसरे खाते पर कुल सर्वे नंबर 6 कुल रकबा 2.23 हैक्टर हिस्सा 1/3

स्वर्गीय राजाराम सिंह ने अपने जीवनकाल में उक्तांकित खातों की भूमियों का घरेलू बटवारा तीनों भाई (आवेदकगण एंव अनावेदक) के बीच कर दिया एंव बटवारे के अनुसार ग्राम अरोरा तहसील मुरार जिला ग्वालियर की भूमियां घरेलू सहमति अनुसार गन्धर्वसिंह एंव सूरज सिंह को दी गई तथा ग्राम छरेंटा करवास तहसील गोहद जिला भिण्ड की भूमियां महेन्द्र सिंह एंव सूरज सिंह को प्रदान की गई। पिता व्दारा किये गये घरेलू बटवारे के अनुसार प्राप्त भूमियों पर तद्नुसार आवेदकगण एंव अनावेदक खेती करते हैं।

घरेलू बटवारे एंव कब्जे के अनुसार ग्राम अरोरा तहसील मुरार की भूमियों पर ग्राम पंचायत के ठहराव/प्रस्ताव क्रमांक 39 दिनांक 28-1-06 से गन्धर्व सिंह एंव सूरजसिंह का नाम इन्द्राज करने का आदेश हुआ। जिला भिण्ड की तहसील गोहद के ग्राम छरेंटा करवास की भूमि पर सूरज सिंह एंव महेन्द्रसिंह का नामान्तरण करने हेतु प्रस्ताव/छहराव दिनांक 22-10-2007 से नामान्तरण स्वीकृत हुआ, किन्तु हलका पटवारी ने ग्राम छरेंटा करवास की भूमियों पर ग्राम पंचायत के आदेश का अमल नहीं किया, अपितु प्रकरण विवादित बताते हुये नामान्तण पॅजी पर तदाशय की प्रविष्टि करके तहसील गोहद में कार्यवाही हेतु टीप दिनांक 15-2-08 से प्रस्तुत कर दिया, जिस पर से नायब तहसीलदार वृत्त देहगॉव तहसील गोहद ने प्र0क0 11 अ-6/2007-08 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 24-8-2009 पारित करके स्वर्गीय राजाराम सिंह के स्थान पर उसके तीनों पुत्रों का समान भाग पर नामान्तरण कर दिया। नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने प्रकरण क्रमांक 35/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-2009 से नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा ग्राम पंचायत छरेटा करवास व्दारा पारित ठहराव/प्रस्ताव दिनांक 12-2-07 से किये गये नामांत्रण आदेश को यथावत् रखा। अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 21-10-09 के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 31/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-11 से अपील स्वीकार

कर अनुविभागीय अधिकारी गोहद के आदेश को निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह मामला दोनों जिलों में स्थित भूमियों के पिता ब्दारा पुत्रों के बीच किये गये सहमति बटवारे अनुसार अमल का है जिसमें मौजा अरोरा तहसील मुरार के दो खातों की भूमियों पर हुये नामान्तरण पर विवाद नहीं है , (विवाद) उजरवादी केवल मौजा छरेटा करवास तहसील गोहद स्थित भूमियों के बटवारे का है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के परीक्षण पर मौजा छरेटा करवास तहसील गोहद स्थित भूमियों के बटवारे पर स्थिति यह है कि इस ग्राम के खातों की भूमियों पर सूरज सिंह एंव महेन्द्रसिंह के हित में हुये घरलू बटवारे का ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/छहराव दिनांक 22-10-2007 से नामान्तरण स्वीकृत हुआ है जो अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम है।

यह भी निर्विवाद है कि हलका पटवारी ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/छहराव दिनांक 22-10-2007 के तथ्य को छिपाकर इस ग्राम की भूमियों के नामांतरण को विवादित बताते हुये नायव तहसीलदार को प्रस्ताव दिया है एंव नायव तहसीलदार वृत्त देहगॉव तहसील गोहद ने वास्तविक स्थिति जाने बिना प्र0क्र0 11 अ-6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 24-8-2009 से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/छहराव दिनांक 22-10-2007 से हुये नामान्तरण को ओझल रखते हुये मौजा छरेटा करवास के कुल दो खातों (प्रथम खाता कुल सर्वे नंबर 2 कुल रकबा 2.16 हैक्टर संपूर्ण एंव दूसरे खाते के कुल सर्वे नंबर 6 कुल रकबा 2.23 हैक्टर के हिस्सा 1/3 पर आवेदकगण एंव अनावेदक का समान भाग पर नामान्तरण स्वीकार किया है जबकि स्वर्गीय राजाराम सिंह ब्दारा अपने जीवनकाल में पुत्रों के बीच कर दिये घरेलू बटवारा अनुसार ग्राम अरोरा तहसील मुरार जिला ग्वालियर की भूमियां सहमति के आधार पर गन्धर्वसिंह एंव सूरज सिंह को दी गई तथा ग्राम छरेंटा करवास तहसील गोहद जिला भिण्ड की भूमियां महेन्द्र सिंह एंव सूरज सिंह को प्रदान की गई।

रमेश श्रीवास्तव विरूद्ध महिला कटोरी वाई 2013 रा0नि0 57 तथा हजुआ विरूद्ध श्रीमती रमको 2014 रा0नि0 98 में बताया गया है कि राजस्व न्यायालय में नामान्तरण का आदेश हो जाने के पश्चात् और उसके अंतिम हो जाने पर अथवा अपील एंव पुनरीक्षण में उसका निपटारा होने के पश्चात् राजस्व न्यायालय में नामान्तरण की कार्यवाही पुनः नहीं चलाई जा सकती।

विचाराधीन भूमियों के सम्बन्ध में जब ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/छहरांव दिनांक 22-10-2007 से एक वार जिन पक्षकारों का नामान्तरण हो चुका है, उसी भूमि पर उसी विषय पर आधारित नायव तहसीलदार वृत्त देहगॉव तहसील गोहद व्दारा प्र0क्र0 11 अ-6/2007-08 में पारित पुर्ननामान्तरण आदेश दिनांक 24-8-2009 विधि की मंशा के अनुरूप नहीं माना जा सकता, जिसे अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने आदेश दिनांक 21-10-2009 से निरस्त करने में त्रृटि नहीं की है किन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 29-9-11 पारित करते समय उक्त को अनदेखा करके नायव तहसीलदार के आदेश को पुष्ट करने में भूल की है ।

5/ यह तथ्य भी निर्विवाद है कि स्वर्गीय राजाराम सिंह व्दारा अपने जीवनकाल में पुत्रों के बीच कर दिये घरेलू बटवारा अनुसार ग्राम अरोरा तहसील मुरार जिला ग्वालियर की भूमियां सहमति के आधार पर गन्धर्वसिंह एंव सूरज सिंह को दी गईं तथा ग्राम छरेंटा करवास तहसील गोहद जिला भिण्ड की भूमियां महेन्द्र सिंह एंव सूरज सिंह को प्रदान की गई एंव सहमति के आधार पर ही दोनों जिलों की भूमियों पर दोनों ग्रामों की ग्राम पंचायतों ने अलग अलग आदेशों से नामान्तरण स्वीकृत किये हैं, जिनमें ग्राम अरोरा तहसील मुरार जिला ग्वालियर की भूमियां सहमति के आधार हुये बटवारे पर विवाद नहीं है। विचार योग्य है कि क्या पिता व्दारा पुत्रों की सहमति के आधार पर किया गया बटवारा अपील योग्य है ?

1. **रामकिशन विरूद्ध चंपालाल 1996 रा.नि. 292 में दृष्टांत प्रतिपादित है कि - भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 178 - पिता व्दारा कुटुम्ब के मध्य संपत्ति का विभाजन कर दिया गया। तत्पश्चात् उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।**
2. **रामसेवक विरूद्ध नरेन्द्रकुमार 1984 रा.नि 237 का दृष्टांत है कि - भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 178 - पारस्परिक विभाजन सद्भाव पर आधारित होता है उसे असमान अंश के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता।**

3. **नन्नूराम विरूद्ध देवीलाल 1978 (2) म0प्र0वीकली नोट्स 222 उच्च न्यायालय एंव हरवोवाई विरूद्ध रणवीर सिंह 2016 रा0नि0 43 में व्यवस्था दी गई है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 (3) के अनुसार पक्षकारों के बीच सहमति व्दारा पारित आदेश - ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होगी।**

ग्राम छरेंटा करवास तहसील गोहद जिला भिण्ड की वाद विचारित भूमियों पर सहमति के आधार पर भूमिस्वामी पिता व्दारा पुत्रों के बीच कर दिये गये बटवारे का अमल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/छहराव दिनांक 22-10-2007 से नामान्तरण हो जाने के उपरांत उन्हीं भूमियों पर पुनः नामान्तरण कार्यवाही करने हेतु नायव तहसीलदार वृत्त देहगॉव तहसील गोहद नये सिरे से प्र0क्र0 11 अ-6/2007-08 दर्ज करके पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 24-8-2009 न्याय की श्रेणी में न होकर नामान्तरण नियमों के विपरीत कार्यवाही है । नायव तहसीलदार के इस प्रकार के त्रृटिपूर्ण आदेश को अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 31/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-11 पुष्टीकृत करने में की गई भूल के कारण अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 31/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-11 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर